रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 478] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 8, 1986/आश्विन 16, 1908
No. 478] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 1986/ASVINA 16, 1908

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

सं. 436/86-केन्द्रीय उत्पादशुल्क

सा.का.नि. 1145(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के उप शीर्ष सं. 2505.00 के अन्तर्गत आने वाले किसी भी रूप में शैल-फास्फेट को उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पादशुल्क से छूट देती है:

परन्तु यह तब जब कि ऐसे शैल-फास्फेट का उपयोग किसी उर्वरक के रूप में या उर्वरकों के विनिर्माण में निवेश के रूप में किया जाता है।

[फा.सं. 118/15/86-सी एक्स-3]
एस.सी. जाना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 8th October, 1986

NOTIFICATION

NO. 436|86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 1145 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts rock phosphate, in any form, falling under sub-heading No. 2507.00 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), from the whole of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule :

Provided that such rock phosphate is used as a fertiliser or as an input in the manufacture of fertilisers

[F. No. 118|15|86-CX. 3]

S. C. JANA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986